उपायुक्त –सह– जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

उर्मिला देवी
बनाम
सरकार

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– 19/2019–20

वाद का प्रकार :– विविध अपील (Misc. Appeal)

आवेदिका श्रीमती उर्मिला देवी पति–श्री लाल अरविन्द कुमार नाथ साहदेव अध्यक्ष अन्नपूर्णा महिला मण्डल घाघरा थाना–घाघरा जिला–गुमला ग्राम–चौली थाना–गुमला जिला–गुमला के द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला के आदेश ज्ञापांक–56/खाद्य दिनांक–08.05.2019 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अपील दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि अपीलार्थी अन्नपूर्णा महिला मण्डल घाघरा की अध्यक्ष है।

यह कि महिला अन्नपूर्णा महिला मण्डल घाघरा के नाम से जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत दुकान का अनुज्ञाप्ति सं0–01/2011 प्राप्त हुआ और दुकान सुचारु रुप से चल रहा था।

यह कि उक्त संस्था का बैंक ऑफ इण्डिया शाखा घाघरा में खाता खोला गया है उसी खाता से जन वितरण दुकान का लेन देन संचालित होता है।

यह कि उक्त संस्था के नाम से बाट बटखारा का अनुज्ञाप्ति प्राप्त है और वर्तमान में भी उसका नवीकरण कराया गया है।

यह कि संस्था के कुछ सदस्यों की सदस्यता विभिन्न कारणों से समाप्त कर दी गई और वे लोग मिलकर एक अलग संस्था अपीलार्थी के संस्था के नाम से ही एक दूसरी संस्था का गठन कर लिये।

यह कि नई संस्था के सदस्यों के द्वारा जिसका नाम भी अन्नपूर्णा महिला मंडल रखा गया है, और ग्रेडिंग नही हुआ है और मान्यता भी प्राप्त नही है।

यह कि नई संस्था की ओर से अपीलार्थी को संस्था द्वारा संचालित जन वितरण प्रणाली दुकान के संचालन हेतु दावा किया गया। जिसे विवादित मानते हुए अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति को दिनांक–25.10.2018 को आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया।

यह कि उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड में डब्लू पी0सी0 नं0–6062/2018 दाखिल की थी जिसपर दिनांक–21.01.2019 को आदेश पारित करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला के आदेश दिनांक–25.10.2018 को अमान्य घोषित करते हुए निर्देश दिया कि अपीलार्थी के पत्र पर सुनवाई करते हुए नैसर्गिक न्याय के तहत निर्णय ले।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जिला आपूर्ति पदाधिकारी गुमला द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसपर अपीलार्थी द्वारा दिनांक – 27.03.2019 को स्पष्टीकरण दाखिल किया गया।

तद्आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला ने अपीलार्थी के स्पष्टीकरण को असंतोषप्रद मानते हुए अपने कार्यालय आदेश ज्ञापांक – 56/खाद्य, दिनांक – 08.05.2019 द्वारा अपीलार्थी की जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत दुकान अनुज्ञप्ति सं0 – 01/2011 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए।

Scanned with CamScanner

अपीलार्थी के विवेचित तथ्यों की अवलोकन व समीक्षा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के आदेश ज्ञापांक – 56/खाद्य, दिनांक – 08.05.2019 तथा सहायक लोक अभियोजक, गुमला के वैधानिक मंतव्य के परिप्रेक्ष्य में किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, घाघरा के पत्रांक – 1089(ii), दिनांक – 01.10.2018 के आलोक में अपने आदेश के बिन्दू – 01 में कर्णाकित किया है कि "अन्नपूर्णा महिला मंडल, घाघरा" का गठन दिनांक – 02.08.2010 को हुआ था, जिसका Grading हुआ था एवं वर्ष 2011 में इनके खाते में 25,000.00 रू0 अनुदान दिया गया है। उनके द्वारा इसी संदर्भ में कण्डिका – 03 में उल्लिखित किया गया है कि "कंडिका – 04 एवं 05 में आपके जवाब में बताया गया है कि आपकी संस्था का Grading हुआ है, जबकि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि समूह का Grading नहीं हुआ है न ही किसी तरह की राशि आपके समूह को निर्गत किया गया है।"

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, द्वारा पारित आदेश में अन्नपूर्णा स्वंय सहायता समूह के अस्तित्व एवं वैद्यानिकता की विस्तृत विवेचना नहीं की गई है। अतः समूह के अस्तित्व एवं वैद्यानिकता को विस्तृत विवेचना के साथ न्याय संगत आदेश पारित करने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला को Remand किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
गुमला

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SHISHIR KUMAR SINHA
Date: 2021.12.31 15:40:14 +05:30
Location: 192.168.1.33

Scanned with CamScanner